रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 2005/कार्तिक 2, 1927
No. 283] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2005/KARTIKA 2, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2005

अंतिम जांच परिणाम

विषय :—चीन ताइपेई से सोडियम साइनाइड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

क. पृष्ठ भूमि एवं जाँच शुरूआत

सं0 14/14/2004-डीजीएडी - मैसर्स साइनाइड्स एण्ड कैमिकल्स कम्पनी (सीसीसी) द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने 25 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना के द्वारा चीन ताइपेई गणराज्य (जिसे एतद्द्वारा संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम सांइनाइड (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित आयातों की सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, (संशोधित) 1995 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग को हुइ परिणामी क्षति की जांच की थी ।

ख. अपनायी गयी प्रक्रिया

2. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है ।

(i) जांच की शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए चीन ताइपेई के ज्ञात सभी निर्यातकों/उत्पादकों को जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजीं ।

1. इम्पीरियल कैमिकल कारपोरेशन

2. ग्रीन माउन्टेन कं0 लि0, ताईवान

(ii) नई दिल्ली में स्थित ताइपेई आर्थिक एवं संस्कृति केन्द्र को नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरू करने के संबंध में सूचना दी गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को प्रश्नावली का निर्धारित समय के भीतर उत्तर देने की सलाह दें । निर्यातकों को भेजे गए पत्रों, याचिकाओं और प्रश्नावलियों की प्रतियाँ ताइपेई आर्थिक एवं संस्कृति केन्द्र, नई दिल्ली को भी भेजी गयी थीं।

(iii) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी), वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था ।

(iv) आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गयीं । तथापि, संबद्ध माल के किसी भी आयातक ने जांच संबंधी अधिसूचना का निर्धारित ढंग एवं रूप में कोई उत्तर नहीं दिया है । तथापि, भारत में संबद्ध माल के आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

(v) संबद्ध देश के केवल एक निर्यातक अर्थात मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल कारपोरेशन ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है । ताइपेई आर्थिक एवं संस्कृति केन्द्र, नई दिल्ली ने एक पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया था कि मैसर्स ग्रीन माउन्टेन कं0 लि0, ताईवान ने भारत को संबद्ध माल का निर्यात नहीं किया है ।

(vi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा । प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के दावों की गोपनीयता की जांच की है । जो सूचना गोपनीय स्वरूप की है अथवा जो सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उसके अगोपनीय सारांश के साथ गोपनीय आधार पर प्रदान की गयी है उसे गोपनीय माना गया है **** यह चिह्न इस अधिसूचना में याचिकाकर्ता द्वारा गोपनीय आधार पर दी गयी सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय ही माने जाने का द्योतक है ।

(vii) प्राधिकारी ने सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर इष्टतम लागत तथा भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत की गणना करने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का संभव सीमा तक सत्यापन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(viii) प्राधिकारी ने 7.7.2005 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए किया जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों, संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं और ताइपेई

आर्थिक एवं संस्कृति केन्द्र, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सार्वजनिक सुनवाई में शामिल पक्षों से, मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में दाखिल करने का अनुरोध किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों की उचित स्थानों पर जांच की गयी है ।

(ix) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को 4 अक्तूबर, 2005 को प्रकटन विवरण जारी किया जिसमें प्राधिकारी द्वारा विचारित आवश्यक तथ्य और प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित निर्धारण प्रक्रिया सूचित की गयी है और उक्त से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां मांगी गयी थी । हितबद्ध पक्षों से प्राप्त प्रकटन विवरणों की टिप्पणियों पर भी संगत सीमा तक इन परिणामों में विचार किया गया है ।

(x) जांच 01.04.2003 से 31.3.2004 (जांच अवधि) की अवधि के लिए की गयी थी ।

ग. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उपशीर्ष 283711 के अंतर्गत वर्गीकृत संबद्ध देश से उद्गमित अथवा निर्यातित सोडियम साइनाइड है । यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच की व्याप्ति पर वि सी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है । सोडियम साइनाइड शुद्ध मूल अकार्बनिक रसायन है । इसका विनिर्माण हाइड्रोसाईनाइड आयल (एचसीएन) के साथ कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है । इसका प्रयोग मुख्यतः रंजक मध्यस्थ वस्तुओं, इलैक्ट्रोप्लेटिंग रसायनों जैसे उद्योगों द्वारा और स्वर्ण निकासी के लिए तथा उष्मा अभिक्रिया लवणों के विनिर्माण के लिए किया जाता है ।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

4 यह आवेदन मैसर्स साइनाइड्रस एण्ड कैमिकल कम्पनी (सीसीसी) (स्वामी हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0) द्वारा दायर किया गया है जो भारत में संबद्ध वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन के 60% हिस्से से अधिक भाग का उत्पादन करते हैं । भारत में संबद्ध वस्तु का केवल एक घरेलू उत्पादक गुजरात एल्कजील एण्ड कैमिकल लि0 (जीएसीएल) है । जिसने सीसीसी द्वारा दायर किए गए आवेदन का समर्थन किया है । तथापि आवेदक शामिल उत्पाद के घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से का उत्पादन करते हैं और नियमावली के नियम 5(3) (क) के अनुसार इस आवेदन को दायर करने के लिए घरेलू उद्योग के रूप में अपनी स्थिति के मानदण्ड को पूरा करते हैं ।

ड. समान वस्तु

5 घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सोडियम साइनाइड सभी आवश्यक गुणों में समान है । इसलिए नियमों के अनुसार शब्द के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं ।

च. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध और उठाए गए मुद्दे

6 प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध माल के किसी आयातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था । तथापि, ताइपेई आर्थिक एवं संस्कृति केन्द्र, नई दिल्ली ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात एक संक्षिप्त अनुरोध प्रस्तुत किया था जिसे लेखबद्ध कर दिया गया है । अपने उत्तरों में ताइपेई आर्थिक एवं संस्कृति केन्द्र ने कहा है कि जनवरी, 2001 से सितम्बर, 2004 तक की अवधि के दौरान उनके सरकारी अभिलेखों में मैसर्स ग्रीन माउन्टेन कम्पनी लि0 द्वारा भारत को संबद्ध माल के किसी निर्यात को नहीं दर्शाया गया है । अतः उन्होंने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को उस कम्पनी के विरूद्ध जांच की प्रक्रिया बन्द कर देनी चाहिए ।

च 1. इम्पीरियल कैमिकल कारपोरेशन का अनुरोध

7. मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल कारपोरेशन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है ।

- कि सोडियम साइनाइड अत्यंत खतरनाक एवं रेगुलेटेड स्वरूप का होने के कारण इस वस्तु के सौदे में शामिल निर्यातक एवं आयातक दोनों देश इस उत्पाद पर आमतौर पर कड़े आयात एवं निर्यात के नियम लागू करते हैं । अतः चूँकि दोनों पक्षों के सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा सौदों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है इसलिए सोडियम साइनाइड के अंतर्राष्ट्रीय सौदों के बारे में मूल्य एवं मात्रा संबंधी इन देशों के आंकड़े अत्यंत विश्वसनीय स्रोत का कार्य कर सकते हैं । भारतीय एवं ताईवान दोनों के सीमाशुल्क विभाग के आंकड़ों के स्रोतों से ताईवान के सोडियम साइनाइड की निर्यात कीमत में वृद्धि का रूख प्रदर्शित होता है और विगत में इन रूझानों से यह भी प्रदर्शित होता है कि भविष्य में भी ये रूझान जारी रहेंगे क्योंकि पिछले महीनों में स्वर्ण की कीमत में वृद्धि रही है ।
- कि कच्ची सामग्री की अत्यंत कमी और विदेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण आईसीसी ने विगत वर्षों में अपने उत्पादन की मात्रा में नाटकीय रूप से कमी की है और वर्ष 2004 के मध्य में अपना उत्पादन पूर्णरूप से बन्द करने का निर्णय लिया है और निकट भविष्य में उत्पादन का व्यापार पुनः शुरू करने की कोई योजना नहीं है ।
- कि वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में ताईवान का निर्यात भारत में सोडियम साइनाइड की मांग में बाजार हिस्से का केवल क्रमशः 0%, 2% और 6% हुआ था । अतः इस प्रकार की मामूली राशि का ताईवान के आयातों और भारतीय घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं होगा ।
- कि यद्यपि वर्ष 2003-04 में चीनी ताइपेई से हुए आयात, आयातों में बाजार हिस्से के 22.36% तक पहुँच गए थे तथापि इससे बाजार हिस्से की मांग में केवल 6% तक की ही वृद्धि हुई थी । इसी वर्ष घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता के संकेतक सकारात्मक से नकारात्मक हो गए थे । यह भी तर्क दिया गया है कि मांग में मात्रा 6% की बाजार हिस्सेदारी से घरेलू उद्योग की सकारात्मक नकद लाभ की स्थिति को अलाभकारी स्थिति में लाने में इस प्रकार का कोई

नाटकीय प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः ताईवान के आयातों और इस प्रकार के आयातों के कारण भारतीय घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।

घ 2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

8. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य बातों के साथ-साथ ये तर्क दिए थे ।

- कि मैसर्स इम्पीरियल कैमिकल कारपोरेशन जो चीनी ताइपेई का एक प्रमुख निर्यातक है, ने अमरीका और कोरिया गणराज्य से संबद्ध माल का आयात करके भारत को उसका निर्यात करना स्वीकार किया है । तथापि, तथ्य यह है कि कम्पनी ने केवल अपना उत्पादन कम किया है और जैसाकि तर्क दिया है पूरी तरह से उत्पादन बन्द नहीं किया है । किसी भी स्थिति में यह तथ्य कि क्या कम्पनी माल का उत्पादन कर रही है अथवा नहीं वर्तमान मामले में असंगत है, केवल संगत मानदण्ड यह है कि क्या कम्पनी का अपना सामान्य मूल्य है ।
- चूँकि पाटनरोधी शुल्क अमरीका, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य और ईयू में उद्गमित्त माल पर लगाया गया है इसलिए यह मालूम होता है कि इन देशों में उत्पादित वस्तुएं अन्य देशों में निर्यात की जा रही है ।
- डब्ल्यूटीओ करार इस बात का साक्ष्य है कि प्राधिकारी किसी ऐसी स्थिति में निर्यात के देश के विरूद्ध कार्रवाई में पूर्णतः न्यायोचित है, चीनी ताइपेई यह स्वीकार करने के बाद भी किसी शुल्क के बगैर ऐसी वस्तुओं का लाभ नहीं ले सकता कि वस्तुओं का उत्पादन कोरिया जन0 गणराज्य और अमरीका में किया गया है ।
- जहां तक ताइपेई के अन्य उत्पादक अर्थात ग्रीन माउन्टेन कम्पनी का संबंध है, कम्पनी की वेबसाइट में डाली गयी सूचना से यह मालूम होता है कि कम्पनी सोडियम साइनाइड व्यवसाय में अत्यधिक अंर्तग्रस्त है और भारत सहित अनेक देशों को उत्पाद का निर्यात किया है तथा चीनी ताइपेई सरकार ने प्राधिकारी को इस संबंध में कोई संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ।
- चूँकि इम्पीरियल कैमिकल कम्पनी ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अमरीका और कोरिया जनवादी गणराज्य से वस्तु की पर्याप्त मात्रा का आयात किया है और भारत को निर्यात किया है इसलिए उस स्थिति में सामान्य मूल्य को अमरीका और कोरिया जन0 गणराज्य अर्थात उद्गम के देशों के संदर्भ में आकलित किए जाने की आवश्यकता है और ताइपेई निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन को तदनुसार निर्धारित किए जाने की जरूरत है ।
- आईसीसी द्वारा किए गए अत्यधिक असहयोग और प्रस्तुत की गयी अपर्याप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए, पाटनमार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनकी निर्यात कीमत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

छ. पाटन का निर्धारण

९. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और संबद्ध देश से प्रतिवादी निर्यातक तथा ताइपेई के प्राधिकारियों के उपर्युक्त तर्कों पर विचार किया है और वे नोट करते हैं कि चीनी ताइपेई में संबद्ध वस्तु के दो मुख्य उत्पादक नामतः मै0 इम्पीरियल केमिकल कार्पोरेशन और मै0 ग्रीन माऊंटेन्स कं0 लि0 है । तथापि जांच शुरूआत के उत्तर में प्रश्नावली का उत्तर केवल मै0 इम्पीरियल केमिकल्स कार्पोरेशन से ही प्राप्त हुआ है ।

१०. जहाँ तक मै0 इम्पीरियल केमिकल कार्पोरेशन का संबंध है, इस निर्यातक ने निवेदन किया है कि अपने अपस्ट्रीम एक्रोलोनीट्रायल संयंत्र से एच सी एन की कमी और विदेशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण वे हाल के वर्षों में सोडियम साइनाइड की अपनी उत्पादन मात्रा में कमी कर रहे हैं और उन्होंने वर्ष 2004 के मध्य से सोडियम साइनाइड के उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर दिया है । उनके निवेदन के अनुसार XXXX मी.टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता की तुलना में वर्ष 2003 में वास्तविक उत्पादन केवल XXXX मी.टन था । तथापि जहां तक भारत को निर्यात का संबंध है, उन्होंने निवेदन किया है कि उन्होंने कोरिया गणराज्य और अमरीका में सोडियम साइनाइड के मुख्य विनिर्माताओं से सामग्री का आयात किया है और भारत को इसका निर्यात किया है । निर्यातक ने तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान भारत को समूचे निर्यात अमरीका और कोरिया गणराज्य से हुए आयातों के जरिए किए गए थे और इसलिए उनके लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु इस उत्पाद के संबंध में अपने उत्पादन लागत संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है । निर्यातक ने यह भी तर्क दिया है कि चूंकि उनके द्वारा निर्यात किया गया उत्पाद अन्य देशों के मूल का है इसलिए पाटन मार्जिन का निर्धारण उद्गम के देशों के संदर्भ में किया जाना चाहिए और शुल्क उन देशों के विरूद्ध लगाया जाना चाहिए न कि चीनी ताईपेई के विरूद्ध ।

११ इस संबंध में प्राधिकारी ने करार के अनुच्छेद 2.5 का उल्लेख किया है जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:-

" उस मामले में जहां उत्पाद उद्गम के देश से सीधे आयात नहीं किए जाते हो बल्कि आयातक सदस्य को किसी मध्यवर्ती देश से निर्यात किए जाते हैं, उस कीमत जिस पर निर्यात के देश से आयातक सदस्य को उत्पाद बेचे जाते हैं, की सामान्य रूप से निर्यात के देश में तुलनीय कीमत के साथ तुलना की जाएगी । तथापि, उद्गम् के देश में कीमत के साथ तुलना की जा सकती है यदि उदाहरणार्थ, उत्पादों का

निर्यात के देश के जरिए केवल यानान्तरण किया जाता है अथवा ऐसे उत्पाद निर्यात के देश में उत्पादित नहीं किए जाते हैं अथवा निर्यात के देश में उनके लिए कोई तुलनीय कीमत नहीं है ।'

12. उपर्युक्त के उपबंध में यह व्यवस्था है कि निर्यात के देश अर्थात् चीनी ताईपई से निर्यात कीमत की उदगम् के देश अर्थात् अमरीका और कोरिया गणराज्य में कीमतों के साथ तुलना की जा सकती है । यदि उत्पादों का निर्यात के देश (चीनी ताइपेई) के जरिए केवल यानांतरण किया जाता है, अथवा ऐसे उत्पाद निर्यात के देश में उत्पादित नहीं किए जाते हैं अथवा इनके लिए निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है । प्रतिवादी निर्यातक ने यह मामला नहीं उठाया है कि उनके द्वारा वस्तुओं का केवल यानांतरण किया जाता है । स्पष्ट रूप से जांच अवधि के दौरान चीनी ताईपेई में अत्यधिक उत्पादन और घरेलू बिक्री हुई है और यह स्थापित करना संभव नहीं है कि प्रतिवादी निर्यातक द्वारा स्वयं या चीनी ताईपेई में किसी अन्य उत्पादक द्वारा विनिर्मित वस्तुओं को भारत को भेजे गए निर्यात परेषणों में शामिल नहीं किया गया है । इसलिए सामान्य मूल्य को उस कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है जिस कीमत पर निर्यात के देश अर्थात् चीनी ताईपेई में वस्तुएं बेची गई हैं । तथापि प्रतिवादी निर्यातक अपने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की तुलनीय बिक्रियों की कीमत के संबंध में सूचना देने में विफल रहे हैं । इसलिए निर्यातक के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश के संदर्भ में किया जाना चाहिए और उनको इस जांच के प्रयोजनार्थ असहयोगी माना गया है ।

13. जहां तक मै0 ग्रीन माऊन्टेन कम्पनी का संबंध है, हो सकता है कि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को वस्तुओं का निर्यात न किया हो जैसाकि चीनी ताईपेई के प्राधिकारियों द्वारा तर्क दिया गया है । ऐसा मालूम होता है कि जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए समस्त निर्यात संबद्ध देश के दूसरे उत्पादक अर्थात् मै0 इम्पीरियल केमिकल्स द्वारा किए गए हैं । तथापि, संबद्ध देश के निर्यातकों से पूर्ण सहयोग के अभाव के कारण उपर्युक्त सूचना का सत्यापन नहीं किया जा सका । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह कंपनी चीनी ताईपेई में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक कंपनी है और अन्य देशों को इन वस्तुओं का अत्यधिक निर्यात करती है । अतः पूर्ण सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीनी ताईपेई के सभी निर्यातकों के लिए एक ही पाटन मार्जिन निर्धारित किया है ।

(क) सामान्य मूल्य

14 तदनुसार, चीनी ताईपेई में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का परिकलन उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है । उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य चीनी ताईपेई में कारखाना द्वार स्तर पर XXXX रू0 प्रति मी.टन बनता है ।

(ख) निर्यात कीमत

15 मै0 इम्पीरियल केमिकल्स कार्पोरेशन ने कमीशन, अंतर्देशीय परिवहन, समुद्री परिवहन, सीमाशुल्क और बीमा के लिए समायोजनों के अपने दावों के समर्थन में संबंधित निर्यात दस्तावेजों के साथ भारत को अपने निर्यातों से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत किया है । इस आंकड़े को चीनी ताईपेई से निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के रूप में अपनाया गया है और तदनुसार भारत को भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण मै0 इम्पीरियल केमिकल्स कार्पोरेशन द्वारा दाखिल किए गए जवाब के आधार पर चीनी ताईपेई में कारखाना द्वार स्तर पर निम्नानुसार किया गया है:-

मात्रा मी.टन	सकल बीजक मूल्य मूल्य अमरीकी डालर	समायोजन अमरीकी डालर	निवल बीजक मूल्य अमरीकी डालर	औसत विनिर्माण स्तर कीमत अमरीकी डालर/मी.टन
*****	******	******	******	******

(ग) पाटन मार्जिन

16 विनिर्माण स्तर पर निर्धारित भारित औसत निवल निर्यात कीमत का चीनी ताईपेई में इसी स्तर पर निर्धारित उत्पाद के निर्मित सामान्य मूल्य के साथ तुलना की गई है । तदनुसार, चीनी ताईपेई के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

पाटन मार्जिन	अमरीकी डालर	
सामान्य मूल्य	******	
निर्यात कीमत	******	
पाटन मार्जिन	******	22%

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

17. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पाटित आयात कई स्रोतों से एक साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात में समग्र रूप से और कुल

आयातों और भारत में कुल खपत के संबंध में वृद्धि के कारण हुई है । यह तर्क दिया गया है कि चीनी ताईपेई से आयातों का घरेलू उद्योग पर अत्यधिक कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत मंदी संबंधी प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में अत्यधिक कमी हुई है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि घरेलू उद्योग को क्षति चीनी ताईपेई से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत दोनों संबंधी प्रभावों के कारण हुई है और क्षति उत्पादन, क्षमता उपयोग और लाभप्रदता में कमी के रूप में हुई है ।

18 चीनी ताईपेई से प्रतिवादी निर्यातक ने तर्क दिया है कि उस देश से निर्यातों की मात्रा केवल घरेलू मांग के 6 प्रतिशत से कम बनती है और उस देश से निर्यात की इतनी कम मात्रा से घरेलू उद्योग को अधिक क्षति नहीं हो सकती है । इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई क्षति और चीनी ताईपेई से निर्यातों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है ।

19 प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु कोरिया गणराज्य, अमरीका और ई यू जिनके लिए जांच अवधि से अतिछादित अवधि मे की गई निर्णायक समीक्षा में कोरिया गणराज्य और अमरीका से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहने की पुष्टि की गई है, सहित कई स्रोतों से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं । प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर भी पहुँचे कि घरेलू उद्योग को उत्पादन, क्षमता उपयोग,उत्पादकता, लाभप्रदता और निवेशों पर आय में कमी के रूप में क्षति होना जारी है । तथापि, प्राधिकारी ने वहन की गई क्षति और घरेलू उद्योग को हुई क्षति और संबद्ध देश से पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध की हितबद्ध पक्षकारों के उपर्युक्त तर्कों के आलोक में संबद्ध देश से पाटित आयातो के मात्रा एवं कीमत संबंधी प्रभावों के अनुसार जांच की है ।

ज.2 पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव

(i) आयात मात्राएं एवं संबद्ध देशों का हिस्साः

20 मात्रा विश्लेषण के प्रयोजनार्थ संबंधित अवधि के लिए डी जी सी आई एस के आयात आंकडों की जांच की गयी है । तथापि, यह देखा जाता है कि समानांतर जांचों में अपने जवाबों में सहयोगी निर्यातकों द्वारा दर्शायी गई निर्यातों की मात्रा डी जी सी आई एस द्वारा बताये गए आयातों की मात्रा से अधिक है । इसलिए आयात मात्रा का समायोजन प्राधिकारी के पास उपलब्ध संबंधित देशों के निर्यात आंकड़ों को ध्यान

में रखकर किया गया है । तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा का निम्नानुसार अनुमान लगाया गया है:-

मात्रा मी.टन में

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (जांच अवधि)
संबद्ध देश के पाटित आयात चीनी ताइपेई	27	18	107	540
प्रवृत्ति	100	67	396	1999
अन्य स्रोतों के पाटित आयात	1113	1437	1463	2267
प्रवृत्ति	100	129	131	204
कुल पाटित आयात	1140	1455	1570	2807
प्रवृत्ति	100	128	138	246
अन्य स्रोतों के आयात	404	180	445	199
प्रवृत्ति	100	45	110	49
कुल आयात	1544	1635	2015	3005
प्रवृत्ति	100	106	130	195

21. उपर्युक्त आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों के साथ-साथ अन्य पाटित स्रोतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जबकि आधार वर्ष की तुलना में पाटित आयातों की मात्रा दोगुने से भी अधिक रही है, उसी अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से पाटित आयात में लगभग 2000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ii) मांग, उत्पादन एवं बाजार हिस्सेदारी

(क) घरेलू उद्योग का उत्पादन

मात्रा मी.टन में

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
क्षमता	******	******	******	******
उत्पादन	******	******	******	******
सूचीबद्ध	100	79.32	96.77	92.01
क्षमता उपयोग	******	******	******	******
सूचीबद्ध	100	79.32	96.77	92.01

22. उपर्युक्त आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है । तथापि, वर्ष 2002-03 में सुधार प्रदर्शित करने के पश्चात् घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन और क्षमता उपयोग में अत्यधिक कमी आई है ।

23. घरेलू उद्योग के उत्पादन की घरेलू बाजार में मांग और घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के विक्रय की क्षमता के संदर्भ में जांच की गयी है जिसे नीचे दर्शाया गया है ।

(ख) घरेलू उद्योग की बिक्रियां

मात्रा मी.टन में

	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
बिक्री (घरेलू)	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	109.47	107.24	108.69
बिक्रियां (निर्यात)	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	175.15	224.85	281.01
बिक्रियां - कुल	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	116.95	120.63	128.31

24. उपर्युक्त आंकड़ों से प्रदर्शित होता है कि यद्यपि उत्पादन में 8 प्रतिशत की कमी आई है किन्तु घरेलू बिक्रियों में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है चूंकि बिक्रियों में प्रमुख वृद्धि निर्यात क्षेत्र में है जिसमें 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि गठित आयातों के कारण घरेलू बाजार में अलाभकारी कीमत ने निर्यातों में वृद्धि करने को बाध्य किया है । तथापि, घरेलू उद्योग का यह तर्क तर्कसंगत नहीं पाया गया है क्योंकि निर्यात बाजार से वसूली, घरेलू बाजार से वसूली की अपेक्षा काफी कम है । बिक्रियों में यह वृद्धि मालसूची के परिशोधन द्वारा प्राप्त की गयी है ।

(ग) मांग एवं बाजार हिस्सा

मात्रा मी.टन में

	2000-01	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
कुल आयात	1544.473	1635.374	2015.305	3004.98
प्रवृत्ति	100	105.89	130.48	194.56
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	109.47	107.24	108.69
अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा बिक्रियां	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	68.84	107.62	123.39
सकल घरेलू मांग	**7407.47**	**7237.37**	**8310.3**	9672.98
प्रवृत्ति	100	97.7	112.19	130.58
मांग में हिस्सेदारी				
घरेलू उद्योग	******	******	******	******

प्रवृत्ति	100	112.04	95.59	83.23
अन्य घरेलू उत्पादक	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	70.46	95.92	93.99
संबद्ध देश	0.36%	0.25%	1.29%	5.58%
प्रवृत्ति	100	68	353	1530
अन्य देश	20.49%	22.35%	22.96%	25.49%
प्रवृत्ति	100	109	112	124

25. यह नोट किया जाता है कि वर्ष दर वर्ष विश्लेषण के आधार पर आधार वर्ष की तुलना में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग में 31 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । तथापि, घरेलू मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है और आधार वर्ष की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत तक की गिरावट प्रदर्शित हुई है । उसी अवधि के दौरान संबद्ध देश के बाजार हिस्से में जांच अवधि के दौरान नगण्य प्रतिशत की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई है । अन्य पाटित स्रोतों से पाटित आयातों के हिस्से में उन देशों के विरूद्ध शुल्क लगाने के पश्चात् भी पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

ज.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

26. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण एवं कीमत ह्रास के सन्दर्भ में की गयी है । इस विश्लेषण के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत, भारित निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) एवं घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एन आई पी) (घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना का मानकीकरण करने के बाद निकाली गई) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की उतराई कीमत से की गयी है ।

(i) कीमत कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव

मूल्य रू0 में/मी.टन

रू0/किग्रा0	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
निर्माण एवं बिक्री लागत	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	104.75	89.13	96.76
बिक्री कीमत	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	95.92	92.79	92.37
उतराई मूल्य				
संबद्ध देश	75230	58684	57625	55832
कीमत कटौती				0 to 10%
हानि रहित कीमत				******
कम कीमत पर बिक्री				0 to 10%

27. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (निवल बिक्री वसूली) में अत्यधिक कमी प्रदर्शित होती है जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में वर्ष 2002-03 में अत्यधिक कमी के पश्चात् जांच अवधि में लागत में वृद्धि हुई है । कीमत कटौती का निर्धारण जांच की पूर्ण अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों के भारित औसत उतराई मूल्य की तुलना उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली से करने के पश्चात किया गया है । इसके लिए आयातों के उतराई मूल्य का परिकलन 1 प्रतिशत प्रहस्तन प्रभार एवं संबद्ध देशों से आयात कीमतों के डी जी सी आई एंड एस के सौदेवार आंकड़ों में उल्लिखित मूल्य पर लागू मूल सीमा शुल्क के समायोजन द्वारा किया गया है ।

28. संबद्ध देश से पाटित आयातों की कीमत, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री सरकारात्मक एवं काफी अधिक है । यह भी नोट किया जाता है कि अन्य स्रोतों से पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले निर्यातों के साथ-साथ घरेलू उद्योग की कीमतों में लगभग उसी स्तर पर कटौती की गयी है ।

(ii) पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण एवं कीमत ह्रास प्रभाव

29 पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण प्रभावों की जांच भी संबद्ध देशों से उतराई मूल्यों और निवल बिक्री कीमत वसूली, उत्पादन की लागत के सन्दर्भ में की गयी है ।

30 उपर्युक्त सारणी से प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देश से वस्तुओं के उतराई मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में पर्याप्त रूप से कमी आई है । संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित होती है । किन्तु बिक्री कीमत से क्षति जांच अवधि में कमी प्रदर्शित होती है । उपर्युक्त आंकड़ों से संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों का घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव और अपने निवेशों पर उचित आय प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने के प्रति घरेलू उद्योग की असमर्थता का पता चलता है । ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को अपना बाजार हिस्सा बनाये रखने के लिए सी आई एफ आयात कीमतों के साथ अपनी कीमतें निर्धारित करने के लिए बाध्य किया गया है ।

झ.4 अन्य क्षति मानकों की जांच

31 घरेलू उद्योग की कीमतों एवं मात्रा पर पाटित आयातों के प्रभाव और आयातों की मात्रा एवं मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं बिक्री तथा पूर्व में विभिन्न खंडों में बाजार हिस्सों के साथ मांग की पद्धति जैसे प्रमुख क्षति संकेतकों की जांच करने के पश्चात् जिन अन्य आर्थिक मापदंडों से घरेलू उद्योग की क्षति की मौजूदगी का पता चल सकता है उनकी जांच निम्नानुसार की गयी है:

(I) उत्पादकता

रू0/किग्रा0	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
प्रतिदिन उत्पादकता	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	79.32	96.77	83.57
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	80.50	101.74	100.86

32 जांच अवधि के दौरान कुल उत्पादन में आयी गिरावट के कारण दैनिक उत्पादन के संबंध में आंकी गयी घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कमी आई है किन्तु उत्पादन की श्रम सम्बन्धी उत्पादकता कमोवेश अपरिवर्तित रही है ।

(ii) लाभ तथा नकद प्रवाह पर वास्तविक तथा संभावित प्रभाव

33. प्राधिकारी ने संबद्ध उत्पाद तथा प्रमुख कच्चे माल अर्थात् संश्लेषित प्रसंस्करण मार्ग से उत्पादित एच सी एन के लिए अपने लागत रिकार्ड के आधार पर घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत की जांच की । बिक्री वसूली की भी उनके बिक्री रिकार्डों से जांच की गई । तदनुसार, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की निम्नानुसार जांच की गई है ।

रू./मी. टन	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
उत्पादन की लागत	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	102.51	87.94	96.75
बिक्री कीमत	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	94.72	91.91	86.89
लाभ/हानि	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	95.92	92.79	48.14

34 यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में वर्ष 2002-03 में अत्यधिक गिरावट के पश्चात उर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है । तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री वसूली लगातार घट रही है जिसके परिणामतः घरेलू उद्योग के लाभ मार्जिन में गिरावट आई है । यद्यपि उद्योग जांच अवधि के दौरान अपने घरेलू प्रचालनों से लाभ अर्जित करता रहा । लाभ मार्जिन में आधार वर्ष की तुलना में 65% से अधिक की गिरावट आई ।

(iii) रोजगार तथा मजदूरी

35 घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में गिरावट आई है । परन्तु वेतन तथा मजूदरी पर व्यय लगभग 14% तक बढ़ा है । तथापि, वेतन तथा मजूदरी पर आने वाला व्यय तुलनीय अवधि के दौरान देश में प्रचलित नियमों तथा विनियमों के संगत है ।

रू./कि.ग्रा.	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
रोजगार	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	98.54	95.12	91.21
मजदूरी	******	******	******	******
प्रवृत्ति	100	93.58	107.20	117.28

(iv) निवेश पर आय तथा पूंजी जुटाने की क्षमता

36 घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय में आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट प्रदर्शित होती है ।

रू./मी. टन	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
पीबीआईटी	******	******	******	******
घरेलू बिक्री पर लगाई गई पूंजी	******	******	******	******
लगाई गई पूंजी पर आय	******	******	******	******
सूचीबद्ध	100	53.43	81.70	42.36

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर आय में अत्यधिक गिरावट आई ।

(v) निवेश

37 आवेदनकर्ता द्वारा जांच अवधि के दौरान कोई क्षमता वृद्धि अथवा नया निवेश नहीं किया गया है ।

(vi) पाटन की मात्रा

38 पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हो सकने वाली क्षति की सीमा के एक संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा यह प्रदर्शित करती है कि सम्बद्ध देश के विरूद्ध निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन जांच अवधि के लिए वास्तविक है ।

(vii) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

39 कीमत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा तथा अन्य स्रोतों की कीमतों को पाटित आयातों से इतर कारकों जिनसे घरेलू बाजार में कीमतें प्रभावित हो सकती हैं का विश्लेषण करने के लिए जांच की गयी । इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है । मै. साइनाइड एंड केमिकल्स भारत में सम्बद्ध वस्तु का सबसे विशाल उत्पादक है । मै. गुजरात एल्केलीज एंड केमिकल्स लि. भारत में संबद्ध वस्तु का दूसरा उत्पादक है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जी ए सी एल ने भी याचिका का समर्थन किया है तथा यह प्रस्तुत किया है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वे उचित कीमत वसूलने में असमर्थ रहे हैं । तथापि, जीएसीएल की क्षमता सीमित है तथा याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि घरेलू बाजार में उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है ।

(viii) माल सूची

रू./कि.ग्रा.	2000-01	2001-02	2002-03	जांच अवधि
माल सूची	******	******	******	******
सूचीबद्ध	100	58.69	62.62	44.35
बिक्री के % के	******	******	******	******
रूप में माल सूची				
सूचीबद्ध	100	53.60	58.40	40.71

आंकड़ों से यह प्रदर्शित है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद मालसूचियों का परिशोधन करने में समर्थ रहे हैं ।

ज.5. अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक सम्बन्ध

40 संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा साथ ही साथ पाटित स्रोतों के मात्रा तथा कीमत प्रभावों की जांच करने के पश्चात अन्य कारकों जिनसे घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हो सकता है की एडीए के अनुच्छेद 3.5 में यथाअधिदेशित रूप से जांच की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटित आयातों से इतर अन्य कारक, यदि कोई हों, से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँची है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्डों की जांच की गई है :

(i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

जांच अवधि के दौरान, सम्बद्ध देशों से इतर महत्वपूर्ण आयात कोरिया जन. गण. से हुए हैं जो कि समकालीन समीक्षा जांच के भी अध्यधीन थे । इस देश से आयात पहले ही पाटित कीमतों

पर पाए गए थे । इन देशों से इतर देशों से आयात या तो मात्रा में कम हैं अथवा उनकी कीमतें उच्चतर हैं । सम्बद्ध देशों से पाटित आयात कुल आयातों का 18% है तथा अन्य सभी स्रोतों से पाटित आयात कुल आयातों का शेष 75% भाग हैं । इसलिए, अन्य स्रोतों से गैर पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर मात्रा तथा मूल्य दोनों के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ii) मांग में कमी तथा/अथवा खपत के तरीके में परिवर्तन

विचाराधीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग आधार वर्ष की तुलना में अत्यधिक बढ़कर लगभग 29% तक पहुँच गई । तथापि, मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में वर्ष 2001-02 में वृद्धि के पश्चात (शुल्क लगाने के बाद) तीव्र गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जबकि संबद्ध देश का हिस्सा तथा अन्य पाटित आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है । घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत के तरीके में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके ।

(iii) विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धा

संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं तथा घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार लागू नहीं है । भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल दूसरा उत्पादक अर्थात् जीएसीएल भारतीय बाजार में याचिकाकर्ता के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करता प्रतीत होता है । संबद्ध वस्तुओं के आयात का प्रमुख हिस्सा संबद्ध देश सहित अन्य स्रोतों से आता है । दूसरे निर्यातक देशों का भारतीय बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए वास्तविक बाजार हिस्सा नहीं है ।

अतः घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति के लिए व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं या विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है ।

(iv) प्रौद्योगिकी में विकास एवं निर्यात निष्पादन

सोडियम साइनाइड की उत्पादन प्रक्रिया सभी उत्पादक देशों में एक समान है । तथापि, मूल कच्ची सामग्री अर्थात एचसीएन के उत्पादन की प्रक्रिया अलग है । यद्यपि एसीएन उत्पादन सुविधाओं से एचसीएन का एसीएन संयंत्र के उप- उत्पाद के रूप में उत्पादन किया जाता है, तथापि एचसीएन का एक व्यवहार्य उत्पादन प्रक्रिया के रूप में मूलभूत अकार्बनिक सिंथेटिक पद्धति के जरिए भी व्यापक रूप से उत्पादन किया जाता है । तथापि, इन दोनों पद्धतियों से किए गए उत्पादन की लागत संरचना में काफी अंतर है । यद्यपि मूल कच्ची सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर है तथापि ये व्यवहार्य उत्पादन प्रक्रियाएं हैं और इनका विश्व भर में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है । अतः प्रौद्योगिकी में विकास या घरेलू उद्योग की उत्पादन की अक्षम पद्धति को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है ।

41 क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को उसके घरेलू निष्पादन से अच्छा पाया गया है । तथापि, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण उसके लाभ/हानि को अलग रखा गया है और घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण केवल उनके घरेलू प्रचालन के आधार पर किया गया है । इसके अलावा घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है ।

313GI/05-3

42 क्षति संबंधी मानदंडों का उपर्युक्त विश्लेषण और अनुत्तरदायी कारकों की जांच से यह संकेत मिलता है कि पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है ।

ज.6. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) क्षति की मात्रा एवं क्षति मार्जिन

43 घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग के तर्कसंगत लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए निर्धारण का प्रस्ताव है और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए इस प्रकार निर्धारित एन आई पी की निर्यातों के पहुँच मूल्य के साथ तुलना का प्रस्ताव है । संबद्ध देश से निर्यातों की भारित औसत पहुँच कीमत और क्षति मार्जिन का निम्नानुसार अनुमान लगाया गया है :

रू./मी.टन

देश	क्षति रहित कीमत	भारित औसत पहुँच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %
चीनी ताईपेई,	******	******	******	0 to 10 %

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

44 क्षति संबंधी मानदंडों की जांच और पाटित आयातों के मात्रात्मक एवं कीमत प्रभावों से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 9% की वृद्धि हुई है, तथापि उत्पादन और क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है । वस्तुतः बिक्रियों में वृद्धि मूल जांच में शुल्क के लगाए जाने के बाद से आधार वर्ष के उत्पाद के भण्डार की बिक्री होने के कारण हुई है, न कि उत्पादन मात्रा में सुधार के जरिए । जाँच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को उत्पादन, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, लाभप्रदता और निवेशों पर आय में भारी गिरावट के रूप में क्षति उठानी पड़ी है । घरेलू कीमतों पर संबद्ध देश सहित अनेक देशों से पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों द्वारा प्रभाव पड़ा है और इन देशों से आयात कीमतों से घरेलू कीमतों पर भारी कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है ।

45 जाँच के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचे हैं : -

(i) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का भारतीय बाजार में संबद्ध देश में इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश हुआ है ।

(ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; और

(iii) घरेलू उद्योग को हुई ये क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव के कारण हुई है ।

ध. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

46 प्राधिकारी नोट करते हैं कि आम तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनःस्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपायों के लागू होने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे और इसलिए इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ट. सिफारिशें

47 संबद्ध देश के विरूद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन के निर्धारण तथा इन पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति साबित होने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है और इसलिए वे नीचे उल्लिखित ढंग और तरीके से संबद्ध देशों से होने वाले सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

48 प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अपेक्षाकृत कम शुल्क संबंधी नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके । तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध देश के सभी आयातों पर निम्नांकित तालिका के कॉलम 9 में इंगित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उपशीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	283711	सोडियम साइनाइड	कोई	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	कोई	91.70	मी. टन	अम. डालर
2	283711	सोडियम साइनाइड	कोई	कोई	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	91.70	मी. टन	अम. डालर

ठ. आगे की प्रक्रिया

49 इस सिफारिश पर आधारित केन्द्र सरकार के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

50 प्राधिकारी अधिनियम के संगत उपबंधों और समय- समय पर इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार समय- समय पर यथाअनुशंसित इन निश्चयात्मक उपायों को जारी रखने, इनमें

संशोधन या इनकी समाप्ति की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं । प्राधिकारी द्वारा इस समीक्षा के ऐसे किसी आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब कि वह इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समयावधि के अनुसार किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया हो ।

क्रिस्टी एल. फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2005

Final Findings

Subject :— Anti-Dumping Investigation concerning import of Sodium Cyanide from Chinese Taipei.

A. Background and initiation:

F.N0. 14/14/2004-DGAD: On the basis an application filed by M/s Cyanides and Chemicals Company (CCC), the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), vide notification dated 25th October 2004, initiated the subject investigation into alleged dumping of Sodium Cyanide (herein after referred to as subject goods), originating in or exported from Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject country), and consequent injury to the domestic industry in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 (herein after referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules).

B. Procedure Followed

2. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i) After notification of initiation of the investigation, questionnaires, along with the initiation notification, were sent to the following known exporters/producers, in Chinese Taipei in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information.

a) Imperial Chemical Corporation
b) Green Mountain Co. Ltd., Taiwan

ii) The Taipei Economic and Culture Centre, New Delhi was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers from their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. Copies of the letters, petitions and questionnaires sent to the exporters, were also sent to the Taipei Economic and Culture Centre, New Delhi;

iii) Central Board of Excise and Customs (CBEC) and DGCI&S were requested to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;

iv) Questionnaires were also sent to the known importers and users of subject goods in India for necessary information. However, none of the importers of the subject goods filed any questionnaire response in the form and manner prescribed. However, no response has been received from importers or users of the subject goods in India.

v) Only one exporter from the subject country, i.e., M/s Imperial Chemical Corporation, filed a questionnaire response to the initiation notification. The Taipei Economic and Culture Centre, New Delhi submitted a letter stating that M/s Green Mountain Co. Ltd., Taiwan has not exported the subject goods to India.

vi) Non-confidential version of the evidence presented by the interested parties was made available in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. The Authority has examined the confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them. The information, which are by nature confidential or which have been provided on a confidential basis by the interested parties alongwith non-confidential summary thereof, have been treated confidential. *** in this Notification represents information furnished by the petitioner on confidential basis and so considered by Authority under the Rules;

vii) The information furnished by the domestic industry was verified to the extent possible to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicants so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;

viii) A public hearing was also held on 07.07.2005 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry, and importers/ users of the subject goods and representative of the Taipei Economic and Culture Centre, New Delhi. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from interested parties have been examined at appropriate places;

ix) The Authority issued disclosure statements to all interested parties on 4th October 2005, intimating the essential facts under consideration by the Authority and methodology of determination proposed to be adopted by the Authority, and calling for the comments of the interested parties to the said disclosure. Comments

of the interested parties, to the extent they are relevant have been considered by the Authority in this finding.

x) Investigation was carried out for the period starting from 1.4.2003 to 31.3.2004 (POI).

C. Product under consideration

3. The product involved in the present investigation is Sodium Cyanide, originating in or exported from the subject country, classified under Customs subheading 283711 of Customs Tariff Act. This classification is only indicative and in no way binding on the scope of present investigation. Sodium Cyanide is a pure basic inorganic chemical. It is manufactured by reacting Hydro Cyanic Acid (HCN) with Caustic Soda. It is mainly used by industries such as dye intermediates, Electro-plating chemicals and for manufacture of heat treatment salts and for gold extraction.

D. Domestic industry and Standing

4. The application has been filed by M/s Cyanides and Chemicals Company (CCC) (Prop. Hindustan Engineering & Industries Ltd.), who produces more than 60% of total domestic production of the subject goods in India. The only other domestic producer of the subject goods in India is Gujarat Alkalies & Chemical Ltd. (GACL) who has supported the application made by CCC. However, the applicant commands major proportion of domestic production of the product involved and satisfy the criteria of standing as domestic industry to file this application in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules.

E. Like article

5. Sodium Cyanide produced by the domestic industry and imported from subject country are identical in all essential characteristics and therefore, like articles within the meaning of the term as per the Rules.

F. Submissions of interested parties and issues raised

6. The Authority notes that no questionnaire response was received from any importers of the subject goods in India or any other interested party. However, Taipei Economic and Cultural Centre, New Delhi filed a brief submission after the public hearing which has been taken on record. In their submissions, Taipei Economic and Cultural Centre has stated that during the period January, 2001 to September, 2004 their official record do not show any export of the subject goods to India by M/s. Green Mountain Company Ltd. Therefore, they have argued that the Authority should cease the process of investigation against that company.

F.1 Submission of Imperial Chemical Corporation

7. M/s. Imperial Chemical Corporation has inter alia argued

- That because of very hazardous and highly regulated nature of sodium cyanide both exporting and importing countries involved in transaction of the substance usually impose strict import and export rule on this product. Therefore, as the transactions are carefully monitored by customs by both sides the official customs data of these countries must serve as a very reliable source on value and quantities regarding international transaction of sodium cyanide. From both Indian and Taiwanese customs data source, there is an increasing trend of Taiwanese sodium cyanide export price and this trend of the past further suggest that this trend will continue in the future as the price of gold has been rising in the recent months.

- That due to serious shortage of the raw material and fierce competition from abroad ICC has been reducing its production volumes dramatically in recent years and decided to completely shut down its production in mid 2004 and there is no plan to re-launch the production line in the near future.

- That Taiwanese export constituted only 0%. 2% and 6%, in the year 2001-02, 2002-03 and 2003-04 respectively, of the market share in demand of Sodium cyanide in India. Therefore, such insignificant amount would not establish causal relationship between Taiwanese imports and injury to the Indian domestic industry.

- That in the year 2003-04 although imports from Chinese Taipei reached 22.36% of the market share in imports it still added up to only 6% of the market share in demand. In the same year profitability indicators of the domestic industry came down from positive to negative index as per data submitted by domestic industry. It has been argued that mere 6% of market share in demand would not make such a dramatic effect on the domestic industry to bring down its cash profit from positive to negative. Therefore, there is no causal relationship between Taiwanese import and the injury that Indian domestic industry has suffered because of such imports.

F.2 Submissions of Domestic Industry

8. The domestic industry in its various submissions has inter alia argued

- That M/s Imperial Chemical Corporation, one of the major exporters from Chinese Taipei, has admitted trading in the goods by importing the subject goods from USA and Korea RP and exporting to India. However, the fact remains that the company has only reduced its production and not

completely stopped as has been argued. In any event, the fact whether or not the company is producing the goods is irrelevant in the present case, the only relevant parameter is whether the company has its own normal value.

- That since anti dumping duty has been imposed originating in USA, South Korea, Czech Republic and EU, it appears that goods produced in these countries are being exported from other countries.

- That WTO Agreement makes it evident that the authority is fully justified in proceeding against the country of export in such a situation. Chinese Taipei cannot take advantage of exports of such goods without duty even after admitting that the goods have been produced in Korea RP and USA.

- That as far as the other Taipei producers i.e. Green Mountain Company is concerned, the information posted in the website of the company indicates that the Company is very much engaged in sodium cyanide business and exported the product to a number of countries including India and the Govt. of Chinese Taipei has not provided any relevant information in this regard to the Authority.

- That since Imperial Chemical Company has admitted that significant quantity of the goods have been imported by them from USA and Korea RP and exported to India, the normal value in that situation is required to be assessed with reference to the country of origin i.e. USA and Korea R.P and dumping margin for the Taipei exporters determined accordingly.

- That in view of high degree of non-cooperation and insufficient information filed by ICC their export price cannot be accepted for the purpose of dumping margin determination.

G. DUMPING DETERMINATION

9. The authority has considered the above arguments of the domestic industry and responding exporter from the subject country as well as Taipei Authorities, and notes that there are two major producers of the subject goods in Chinese Taipei, namely, M/s. Imperial Chemical Corporation and M/s. Green Mountains Company Ltd. However, questionnaire response has been received only from M/s. Imperial Chemicals Corporation, in response to the initiation of the investigation.

10. As far as M/s. Imperial Chemical Corporation is concerned, this exporter has submitted that due to shortage of HCN from its upstream acrylonitrile plant and fierce competition from abroad they have been reducing their production volume of Sodium Cyanide in the recent years and have completely shut down production of Sodium Cyanide since mid 2004. As per their submission, against

the installed capacity of **** MTs per annum, actual production in 2003 was only ***** MTs. However, as far as export to India was concerned, they have submitted that they have imported the material from major manufacturers of Sodium Cyanide in Korea RP and USA, and exported the same to India. The exporter has argued that entire export to India during the POI was catered through the imports from USA and Korea R.P. and therefore, they are not required to submit their cost of production data in respect of this product for determination of normal value. The exporter has further argued that since the product exported by them originated in the other countries, the dumping margin should be determined with reference to the originating countries and the duty should be imposed against those countries and not against Chinese Taipei.

11. In this connection, the Authority has referred to Article 2.5 of the Agreement which read as follows:-

"In the case where products are not imported directly from the country of origin but are exported to the importing Member from an intermediate country, the price at which the products are sold from the country of export to the importing Member shall normally be compared with the comparable price in the country of export. However, comparison may be made with the price in the country of origin, if for example, the products are merely transshipped through the country of export, or such products are not produced in the country of export, or there is no comparable price for them in the country of export."

12. The above provision provides that the export price from the country of export i.e Chinese Taipei can be compared with the price in the country of origin i.e USA and Korea R.P. if the products are merely transshipped through the country of export (Chinese Taipei), or such products are not produced in the country of export or there is no comparable price for the same in the country of export. The responding exporter has not made out a case that the goods are merely transshipped by them. Clearly, there is significant production and domestic sale in Chinese Taipei during the POI and it is not possible to establish that the goods manufactured by the responding exporter himself or any other producer in Chinese Taipei has not been included in the export consignments sent to India. Therefore, the normal value is required to the determined on the basis of price at which the goods are sold in the country of exports i.e. Chinese Taipei. However, the responding exporter has failed to provide information on price of comparable sales of the subject goods in their home market. Therefore, the contention of the exporter that the normal value should be determined with reference to the country of origin has not been accepted and they have been treated as non-cooperative for the purpose of this investigation.

13. As far as M/s. Green Mountain Company is concerned, the Company might not have exported the goods to India during the POI as has been contended by the Chinese Taipei Authorities. The other producer in the subject country i.e., M/s Imperial Chemicals, seems to have accounted for the entire

quantity of the exports to India during the POI. However, due to lack of complete cooperation from the exporters from the subject country the above information could not be verified. The Authority also notes that this company is a producer of the subject goods in Chinese Taipei and has significant export of the goods to other countries. Therefore, in the absence of full cooperation, the Authority has determined a single dumping margin for all exporters from Chinese Taipei on facts available basis.

a) Normal Value

14. Accordingly, the normal value of the subject goods for all producers/exporters in Chinese Taipei has been constructed on the basis of best facts available. The constructed normal value at ex-factory level in Chinese Taipei, on facts available basis works out to Rs. ******* per MT.

b) Export price

15. M/s Imperial Chemicals Corporation has produced the details of its exports to India with corresponding export documents in support of its claims for adjustments towards commission, inland transport, overseas transports, Customs brokerage, and insurance. This data has been adopted as the best facts available for the purpose of determination of the export price from Chinese Taipei and accordingly, weighted average net export price to India has been determined at the ex-factory level in Chinese Taipei, based on the response filed by M/s Imperial Chemicals Corporation as follows:

Qty MT	Gross Invoice value US$	Adjustments US$	Net invoice Value US$	Average Ex-works price US$/MT
*****	******	******	******	******

c) Dumping Margin

16. The weighted average net export price determined at the ex-works level has been compared with the constructed normal value of the product determined at the same level in the Chinese Taipei. Accordingly, dumping margin for Chinese Taipei has been determined as follows

Dumping Margin	US$	
Normal value	******	
Export price	******	
Dumping Margin	******	22%

H. INJURY AND CAUSAL LINK DETERMINATION

H.1 Views of the Domestic industry

17. The domestic industry has contended that dumped imports are simultaneously entering the Indian market from several sources and injury to the domestic industry has been caused due to increase in import of the subject goods from the subject country in absolute terms as well as in relation to total imports and total consumption in India. It has been argued that imports from Chinese Taipei has significant price undercutting, price underselling and price depression effect on the domestic industry resulting in significant erosion in the profitability of the domestic industry. They have further argued that injury has been suffered by the domestic industry on account of both volume and price effects of dumped imports from Chinese Taipei and injury has been suffered in terms of decline in production, capacity utilization and profitability.

18. The responding exporter from Chinese Taipei has argued that the volume of exports from that country constitutes only less than 6% of domestic demand and such low volume of export from that country cannot cause significant injury to the domestic industry. Therefore, causal link between the injury suffered by the domestic industry and the exports from Chinese Taipei cannot be established.

19. The Authority also notes that the subject good is entering the Indian market from several sources including, the Korea RP, USA, and the EU for which a sunset review conducted with overlapping period of investigation has confirmed continuation of dumping of the subject goods from Korea RP and USA. The Authority also concluded that the domestic industry continues to suffer material injury in terms of significant fall in production, capacity utilization, productivity, profitability and return on investments. However, the Authority has examined the injury suffered and the causal link between the injury suffered by the domestic industry and the dumped imports from the subject country in terms of the volume and price effects of the dumped imports from the subject country, in the light of the arguments of the interested parties as above.

H.2 Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

i) Import Volumes and share of subject countries:

20. For the purpose of volume analysis the DGCIS import data for the relevant periods have been examined. However, it is noticed that the volume of exports indicated by the cooperating exporters in their responses in parallel investigations are higher than the volume of imports reported by DGCIS. Therefore, the volume of import has been adjusted taking in to account the export data of the countries concerned available with the Authority. Accordingly, the volume of dumped imports of the product under consideration has been estimated as follows:

Qty in MT

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (POI)
Dumped Imports from the subject Country (Chinese Taipei)	27	18	107	540
Trend	100	67	396	1999
Dumped Imports from other sources	1113	1437	1463	2267
Trend	100	129	131	204
Total Dumped imports	1140	1455	1570	2807
Trend	100	128	138	246
Imports from other sources	404	180	445	199
Trend	100	45	110	49
Total Imports	1544	1635	2015	3005
Trend	100	106	130	195

21. The above data indicates that dumped imports from the subject country as well as other dumped sources have increased significantly during the injury investigation period. While the dumped imports have more than doubled compared to the base year, dumped import from the subject country has increased by about 2000% during the same period.

ii) Demand, Output and Market shares

a) Production of the Domestic Industry

Quantity in MT

	2000-01	2001-02	2002-03	POI
Capacity	******	******	******	******
Output	******	******	******	******
Indexed	100	79.32	96.77	92.01
Capacity Utilization	******	******	******	******
Indexed	100	79.32	96.77	92.01

22. The above data indicates that capacity of the domestic industry has not increased. However, total production and capacity utilization of the domestic industry has declined significantly after showing an improvement in the year 2002-03.

23. The production of the domestic industry has been examined with reference to the demand in the domestic market and the ability of the domestic industry to sell in the domestic market, which is shown below.

b) Sales of Domestic Industry

Quantity in MT

	2000-01	2001-02	2002-03	POI
Sales (Domestic)	*******	*******	*******	*******
Trend	100	109.47	107.24	108.69
Sales – (Exports)	*******	*******	*******	*******
Trend	100	175.15	224.85	281.01
Sales - Total	*******	*******	*******	*******
Trend	100	116.95	120.63	128.31

24. The data above shows that though the production declined by 8%, the domestic sales has increased by 9% whereas major increase in the sales is in the export segment, which increased by 180%. The domestic industry has argued that un-remunerative price in the domestic market, due to dumped imports, has forced them to increase the exports. However, this argument of the domestic industry has not been found to be tenable as the realization from the export market is much less than its realization from the domestic market. The increase in sales has been achieved by liquidation of inventory.

c) Demand and Market Share

Quantity in MT

	2000-01	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
Total import	1544.473	1635.374	2015.305	3004.98
Trend	100	105.89	130.48	194.56
Domestic Industry sales	*******	*******	*******	*******
Trend	100	109.47	107.24	108.69
Sales by other domestic producers	*******	*******	*******	*******
Trend	100	68.84	107.62	123.39
Total Domestic Demand	**7407.47**	**7237.37**	**8310.3**	9672.98
Trend	100	97.7	112.19	130.58
Shares in Demand				
Domestic Industry	*******	*******	*******	*******
Trend	100	112.04	95.59	83.23
Other Domestic Producers	*******	*******	*******	*******
Trend	100	70.46	95.92	93.99
Subject Country	0.36%	0.25%	1.29%	5.58%
Trend	100	68	353	1530
Other Countries	20.49%	22.35%	22.96%	25.49%
Trend	100	109	112	124

25. It is noted that domestic demand of the product under consideration has increased by about 31% compared to the base year on a year-to-year analysis. However, the share of domestic industry in the total domestic demand has shown declining trend and dropped by about 9% compared to the base year. During the same period the market share of the subject country has increased substantially from a negligible percentage to about 6% of the total demand during the POI. The share of dumped imports from other dumped sources has also significantly increased even after imposition of duty against those countries.

H.3 Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

26. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry (worked out after normating the costing information of the Domestic Industry) have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

(i) Price undercutting and underselling effects

Values in Rs /MT

Rs./KG	2000-01	2001-02	2002-03	POI
Cost to make and sale	******	******	******	******
Trend	100	104.75	89.13	96.76
Selling Price	******	******	******	******
Trend	100	95.92	92.79	92.37
Landed Value				
Subject Country	75230	58684	57625	55832
Price Undercutting				0 to 10%
NIP				******
Price Underselling				0 to 10%

27. The selling price (net sales realization) of the domestic industry shows significant decline, whereas cost of production of the domestic industry has increased in the POI after a significant decline in the year 2002-03. Price undercutting has been determined by comparing the weighted average landed value of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the weighted average net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to

the value reported in the DGCI&S transaction wise data of import prices from the subject countries.

28. The prices of the dumped imports from the subject country undercut and undersell the prices of the domestic industry and price undercutting and underselling is positive and significant. It is also noted that the exports from other sources entering the Indian market at dumped prices simultaneously undercut the prices of the domestic industry almost at the same level.

(ii) Price suppression and depression effects of the dumped imports:

29. The price suppression effects of the dumped imports have also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject countries.

30. The above table shows that the landed value of goods from the subject country has significantly declined compared to the base year. The cost of production of the subject goods shows substantial increase compared to the previous year. But the selling price shows decline in the injury investigation period. The above data indicates depressing effects of the dumped imports from the subject country on the domestic prices and inability of the domestic industry to raise its prices to recover a reasonable return on its investments. The domestic industry seems to have been forced to benchmark its prices with the CIF import prices to retain its market share.

G.4 Examination of other Injury Parameters

31. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern, with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed as follows:

i) Productivity

Rs./KG	2000-01	2001-02	2002-03	POI
Productivity per day	******	******	******	******
Trend	100	79.32	96.77	83.57
Productivity per Employee	******	******	******	******
Trend	100	80.50	101.74	100.86

32. Productivity of the domestic industry, measured in terms of daily output has declined due to decline in total production during the POI but labour productivity of the output has remained more or less unchanged.

ii) Profits and actual and potential effects on the cash flow

33. The Authority examined the cost of production of the domestic industry on the basis of their cost records for the product involved and the major raw material i.e. HCN produced from the synthetic processing route. The sales realization was also examined from their sales records. Accordingly, the profitability of the domestic industry has been examined as under.

Rs/MT	2000-01	2001-02	2002-03	POI
Cost of Production	******	******	******	******
Trend	100	102.51	87.94	96.75
Selling Price	******	******	******	******
Trend	100	94.72	91.91	86.69
Profit/Loss	******	******	******	******
Trend	100	95.92	92.79	48.14

34. It is noted that the cost of production of the domestic industry has shown an upward trend after a significant decline in the year 2002-03. However, the sales realization of the domestic industry has been steadily declining, resulting in decline in the profit margin of the domestic industry though the industry continued to earn profit on its domestic operation during the POI. The profit margin has declined by over 65% compared to the base year.

iii) Employment and wages

35. The employment level of the domestic industry has declined. But the expenses on account of salary and wages have increased by about 14%. However, increase in the expenses towards salary and wage is in tandem with prevailing rules and regulations in the country during the comparable periods.

Rs./KG	2000-01	2001-02	2002-03	POI
Employment	******	******	******	******
Trend	100.00	98.54	95.12	91.21
Wages	******	******	******	******
Trend	100.00	93.58	107.20	117.28

iv) Return on investment and ability to raise capital

36. The return on capital employed by the domestic industry shows deterioration compared to the base year and previous years.

Rs./MT	2000-01	2001-02	2002-03	POI
PBIT	******	******	******	******
Capital Employed on domestic sales	******	******	******	******
Return on Capital Employed	******	******	******	******
Indexed	100	53.43	81.70	42.36

It is evident from the above that return on capital employed of the domestic industry significantly deteriorated.

v) Investment

37. There has been no capacity addition or any fresh investment by the applicants during the investigation period.

vi) Magnitude of Dumping

38. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject country, is substantial for the POI.

vii) Factors affecting prices

39. Change in cost structure, competition in the domestic market and prices of other sources have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. There is no viable substitute to this product. M/s Cyanide & Chemicals is the largest producer of the subject good in India. M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd. is the other producer of the subject goods in India. The Authority notes that GACL has also supported the petition and has submitted that they have not been able to realize a fair price due to dumped imports of the subject goods. However, the capacity of GACL is limited and the petitioner has argued that there is a fair competition between them in the domestic market.

viii) Inventories

Rs./KG	2000-01	2001-02	2002-03	POI
Inventories	******	******	******	******
Indexed	100	58.69	62.62	44.35
Inventories as % of Sales	******	******	******	******

Indexed	100	53.60	58.40	40.71

The data shows that the domestic industry has been able to liquidate inventories after imposition of Anti Dumping Duty.

H.5 Other Known factors and Causal Link

40. Having examined the volume and price effects of dumped imports from the subject country as well as other dumped sources, other factors that may have affected the performance of the domestic industry, have been examined as mandated under Article 3.5 of ADA to find if other factors if any, other than dumped imports have caused injury to the domestic industry. In this connection the following parameters have been examined:

i) Volume and prices of imports from other sources

During the POI, other than subject countries, significant imports have taken place from Korea RP, which was also subject to a simultaneous review investigation. The import from this country has already been found to be at dumped prices. Imports from countries other than these countries are either small in quantity or prices are higher. The dumped imports from subject country constitute about 18% of total imports and dumped imports from all other sources account for remaining another 75% of total imports. Therefore, un-dumped imports from other sources do not have significant effect on the domestic industry, both in terms of volume and value.

ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

Total domestic demand of the product under consideration, has increased significantly by about 29% compared to the base year. However, the share of domestic industry in the demand, after increasing in 2001-02 (after imposition of the duty), has shown sharp declining trend, whereas the share of subject country and other dumped imports have increased significantly. There is no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which can be attributed to the injury to the domestic industry.

iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The only other producer of the subject goods in India i.e. GACL, appears to offer a healthy competition to the petitioner in the Indian market. Major portion of the imports of the subject goods takes place from the dumped sources, including the subject country. Other exporting countries do not have substantial market share in Indian market to effectively compete.

Therefore, the current injury to the domestic industry cannot be attributed to trade restrictive practices or competition between foreign and domestic producers.

iv) Development of technology and export performance

The production process of Sodium Cyanide is similar in all producing countries. However, the process of production of the basic raw material i.e. HCN is different. While the ACN production facilities produce HCN as a by-product of the ACN plant, HCN is also widely produced through basic inorganic synthetic route as a viable production process. However, the cost structures of production from these two routes differ significantly. Though the technology is different for obtaining the basic raw material they are viable production processes and are widely used world over. Therefore, development of technology or inefficient method of production of the domestic industry cannot be treated as a cause of injury to the domestic industry.

41. The export performance of the domestic industry was found to be better than its domestic performance during the injury investigation period. However, profit/loss of the domestic industry on account of their export performance has been segregated and the performance of the domestic industry, in terms of its domestic operation only, has been analysed. Therefore, injury if any, on account of the export performance of the domestic industry, has not been attributed to the dumped imports.

42. The above analysis of injury parameters and examination of non-attribution factors indicate that no other factor, other than dumped imports has caused any injury to the domestic industry

H.6 NIP, Magnitude of Injury and injury margin

43. The non-injurious price of the domestic industry is proposed to be determined taking into account normated cost of production and a reasonable profit for the domestic industry and the NIP so determined is proposed to be compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The weighted average landed price of the exports from the subject country and the injury margin have been estimated as follows:

Rs/MT

Country	NIP	Weighted Average Landed Value	Injury Margin	Injury Margin %
Chinese Taipei	******	******	******	0 to 10 %

I. Conclusion on injury and causal link

44. Examination of the injury parameters and the volume and price effects of dumped imports indicate that though the sales of the domestic industry has increased by about 9% compared to the base year, there is a significant drop in production and capacity utilization. In fact the sales have been augmented by liquidation of huge stock of the product in the base year, after imposition of duty in the original investigation, rather than through improvement in production volume. The examination indicates that the domestic industry suffers injury in terms of significant fall in production, capacity utilization, productivity, profitability and return on investments. The domestic prices have been affected by the volume and price effects of the dumped imports from several countries, including the subject country and import prices from these countries have significant price undercutting, underselling and price depression effect on the domestic prices.

45. On the basis of this examination the Authority concludes that

i) The imports of the subject goods from the subject country have entered Indian market at less than its normal value in the subject country.

ii) The domestic industry has suffered material injury; And

iii) The injury has been caused to the domestic industry by volume and price effect of dumped imports of the subject goods from the subject country.

J. Indian industry's interest & other issues

46. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

K. Recommendations

47. Having established positive dumping margin against the subject country, as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive antidumping duty is required to offset dumping and injury to the domestic industry and therefore, recommends imposition of definitive antidumping duty on all imports from the subject countries in the form and manner described below.

48. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the

lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive antidumping duty equal to the amount indicated in Col 9 of the table below, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

Sl. No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	283711	Sodium Cyanide	Any	Chinese Taipei	Any	Any	Any	91.70	MT	US$
2	283711	Sodium Cyanide	Any	Any	Chinese Taipei	Any	Any	91.70	MT	US$

L. Further Procedures

49. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

50. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party, as per the time schedule stipulated for this purpose.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.